



2026:AHC: 127920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19463/2026

विजेन्द्र कुमार उर्फ डुमर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जय किशन, विपिन कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना मिरहची, जिला एटा में मुकदमा अपराध संख्या 124 वर्ष 2025, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में एक प्रकरण दिखाया गया है और सभी प्रकरणों में, आवेदक जमानत पर है।

4. उन्होंने आगे कहा कि विवादित एफ.आई.आर. में, लोक व्यवस्था भंग करने के संबंध में तथा अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी प्रकृति के अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट हैं। आगे यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत यथा उपबंधित "गैंग" और "गैंगस्टर" शब्द की परिभाषा द्वारा आच्छादित किए गए, किसी अभियुक्त की ओर से किसी कार्य या लोप से संबंधित आरोप के अभाव में, कोई भी एफ.आई.आर. पोषणीय नहीं है। वर्तमान मामले में, एफ.आई.आर. लंबित आपराधिक वादों पर आधारित है, न कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालने वाले किसी नए अभिकथनों या तथ्य (तथ्यों) की खोज पर, जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या ख्याति प्राप्त करने या सरकार या सत्ताधारी दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किया है, जो अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि वाद के तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहने के दौरान अपराध कारित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक जमानत पर रहने के दौरान न तो कोई अपराध/जुर्म करेगा और न

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, चाहे वह जो भी हो।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस वाद में 17.3.2025 से कारागार में निरुद्ध है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि, यदि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह विधि के अनुक्रम से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह उपधारणा पैदा कर सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

10. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में, आवेदक जमानत पर है। हालांकि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से समान असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देकर और डरा-धमकाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

11. उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

"(4) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तो उसे जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य, अपराध की प्रकृति जिसका उल्लेख गैंग-चार्ट में किया गया है और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कई निर्णयों में कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता अपने सुरक्षात्मक दायरे में न केवल सम्यक प्रक्रिया और निष्पक्षता को कवर करेगी, बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र विचारण को भी कवर करेगी। विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ में, यह धारित किया गया था कि विचाराधीन कैदियों को विचारण लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों को तब तक नहीं भुगतना चाहिए जब तक कि उसे किसी तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष स्थापित न किया गया हो। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण जहाँ एक प्रभावी विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुनिश्चित करने और समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए यदि एक संभावित अपराधी को विचारण लंबित रहने तक खुला छोड़ दिया जाता है, तो न्यायालयों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर कि समय पर विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त ने एक महत्वपूर्ण समय तक कारावास भुगता है, न्यायालयों को सामान्यतः उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

14. ऊपर उल्लेखित पक्षकारों के प्रस्तुतीकरणों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और (2018) 3 एस.सी.सी. 22 में प्रतिवेदित दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 5191 वर्ष 2021 में पारित सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करने के बाद और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- विजेन्द्र कुमार उर्फ इमर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत के निरस्तीकरण का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

18 जून, 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”